

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल की उपलब्धियाँ: एक अध्ययन

Achievements of Indian Prime Minister Narendra Modi's Second Term: A Study

Paper Submission: 15/11/2021, Date of Acceptance: 23/11/2021, Date of Publication:24/11/2021

सारांश

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कुछ फैसले लिये हैं, जिनको मोदी सरकार के उपलब्धियों के नाम से जाना गया। जो देश और जनता दोनों के लिये ही अति आवश्यक थी। उसमें कुछ उपलब्धियाँ विशेष वर्ग के लिये थी, तो कुछ देश हित के लिये भी थी। कई पार्टियों की सरकारें आयी परन्तु इन समस्याओं पर विचार नहीं हो पाया, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरूआती दौर में ही इन फैसलों पर अपना मत जनता के पक्ष में रख दिया जो एक बड़े बदलाव के रूप में देखा की जनता के हित में है।

Prime Minister Narendra Modi has taken some decisions in his second term, which were known as achievements of the Modi government. Which was very necessary for both the country and the people. In that some achievements were for the special class, while some were also for the benefit of the country. Governments of many parties came but these problems could not be considered, but in the early phase of its second term itself, the Modi government put its vote on these decisions in favor of the people, which in the form of a big change in the interest of the people of the country.

मुख्य शब्द: नरेन्द्र मोदी, अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर , ट्रिपल तलाक, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, अयोध्या मन्दिर।

Key words: Narendra Modi, Article 370, Jammu and Kashmir, Triple Talaq, Citizenship (Amendment) Act 2019, Ayodhya Temple.

प्रस्तावना

प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते ही नरेन्द्र मोदी ने भारत विकास हेतु भूमिगत ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेकानेक प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई हैं, और अपनी नीतियों से जनता के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया है। नरेन्द्र मोदी का जो भी योगदान है उससे जनता को काफी फायदा हुआ है। इस सरकार की उपलब्धियों से भारत का नाम विदेशों में भी हुआ है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया गया है। इसके अंतर्गत अनुसंधानों, सर्वेक्षणों, पुस्तकों, विभिन्न जनरल, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गजेटियर, रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेजों, केंद्र सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़े एवं प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित और वर्गीकृत कर इनका विश्लेषण किया गया है और विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि, भारतीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक की राजनीति और नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं प्रधानमंत्री के रूप में अनेक योगदान एवं उपलब्धियों को जानना।

1. नरेन्द्र मोदी की मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक की राजनीतिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना।
2. नरेन्द्र मोदी की राजनीति एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच अंतर संबंधों को ज्ञात करना।
3. मोदी के व्यक्तित्व एवं सरकारी नीतियों का विश्लेषण करना।
4. भारतीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी की उपलब्धियों एवं असफलताओं का मूल्यांकन करना।

साहित्यलोकन

शर्मा महेश (2020) "मैं नरेन्द्र मोदी बोल रहा हूँ" में बताया गया कि एक अच्छे और ओजस्वी शासक में जो गुण होने चाहिए वह सभी नरेन्द्र मोदी में विद्यमान है। भारत की तरक्की के लिए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही दिया है। इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में लेखक ने जानकारी देने का प्रयास किया है।

अंकिता त्रिपाठी

शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान एवं
लोकप्रशासन
अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.), भारत

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

बालाशंकर आर. (2019) “राष्ट्र साधक नरेंद्र मोदी” में बताया कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने देश में परिवर्तन किया वह अभी का सबसे बड़ा परिवर्तन है इसलिए ही उनकी लोकप्रियता अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी में सबसे ज्यादा है। देश में सुधारों के नाम पर वह भी अभी के सभी तरह के रिकार्ड तोड़ चुके हैं। उनके इस तरह के कार्यों के कारण भारतीयों में अलग ही उम्मीद बन गई है।

वर्णवाल चंद्र हरीश डॉ. (2019) “मोदी नीति” में बताया कि किसी कार्य की सार्थकता तब मानी जाती है, जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों का रिपोर्ट कार्ड या लेखा-जोखा नहीं है या उनके द्वारा किए गए 5 सालों के कार्य हैं जो उन्होंने देश, समाज, और मानवता को नई दिशा और दशा बदलने के लिए किए हैं।

अग्निहोत्री चंद्र कुलदीप डॉ. (2019) “नरेंद्र मोदी होने का अर्थ” में बताया कि, नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नारहकर लोगों और जनता के लिए प्रतीक बन गए हैं। यदि वह प्रतीक है तो संपूर्ण जनमानस के सामूहिक उम्मीदों के भारत से जुड़ी हुई राष्ट्रवादी शक्तियों की उम्मीदें भी कई तरह की हैं, जो अपने भारत देश का सबसे सर्वोपरि विश्व राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखना चाहती हैं।

बासु संजय, कुमार नीरज, शेखर शशि (2019) “वादा- फरोशी” में बताया नरेंद्र मोदी ने खुद माना कि सूचना का अधिकार कानून वास्तविकता में सरकार को ही शक्ति देता है। इसे सरकार यह समझ पाती है कि, लोगों की समस्या क्या है, उनको क्या चाहिए जनता के सवाल आदि। जनता के विचारों को जानने के पश्चात क्या सरकार ठीक से काम कर रही है कि नहीं। जिससे सरकार अपना प्रदर्शन सुधार सकती है। कोई भी सरकार हर चुनाव में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास हुआ है कि सरकारी नीतियों का जमीनी स्तर पर क्या हाल है।

उपलब्धियाँ ट्रिपल तलाक

ट्रिपल तालक जिसे तालक-ए-बिद्दत, तत्काल तलाक और तलख-ए-मुगलजाह (अपरिवर्तनीय तलाक) के रूप में भी जाना जाता है, इस्लामी तलाक का एक रूप है।¹ न्याय शास्त्र के हनफी पुत्री इस्लामिक स्कूल के अनुयायी जिसने भारत में मुस्लिम धर्म में तलाक देने के लिए ऐसी इजाजत दी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को सामने से मौखिक या लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से तीन बार “तलाक” बोल कर अपनी पत्नी को कानूनी तौर पर तलाक दे सकता है।

भारत जैसे देश में तीन तलाक को शुरू से ही गलत माना जाता रहा है। जो कि विवाद और बहस का मुद्दा रहा है। जिन लोगों ने इस प्रथा पर प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने मानवाधिकारों और धर्म निरपेक्षता, लैंगिक समानता, न्याय आदि मुद्दों पर भी सवाल उठाया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत सरकार से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक शामिल है। जिसको यह माना गया कि यहां भारत में एक समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद) विषय से जुड़ा हुआ है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को तुरंत तीन तलाक असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय में पाँच जजों की पैनल तैयार की गई जिसमें तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक तथा पेश दो जजों ने इसको संवैधानिक करार दिया। इसके साथ ही इस नये कानून का बनाकर इस प्रथा को खत्म करने की बात कही। इस प्रकार से विश्व के 23 देशों के साथ भारत के पड़ोसी देशों ने मिलकर तीन तलाक प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। जिसमें कुरान कलाम पाक की स्थापना ट्रिपल तलाक की कुरीतियों को रोकने के लिये हुई। इसके द्वारा पति को अंतिम निर्णय लेने के लिए 3 माह के अंतर्गत 2 प्रतीक्षा अवधि दी जाती है। 30 जुलाई 2019 को, भारत की संसद ने ट्रिपल तालक की प्रथा को गैरकानूनी, असंवैधानिक घोषित किया तथा इसे 1 अगस्त 2019 से दंडनीय अधिनियम बना दिया जो 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाता है।

2019 अधिनियम जिसमें मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों के संरक्षण की काफी लंबी चर्चा और विरोध होने के बाद 2019 में 26 जुलाई को पारित हो पाया। जिसमें अंत में महिलाओं को इंसाफ मिला और उनकी जीत हुई। भारत में इसको 1 अगस्त 2019 में ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया। 2019 फरवरी में तीन तलाक ने विधेयक को छोड़कर अध्यादेश का स्थान प्राप्त कर लिया। इस अध्यादेश से यह बात साफ हो गई कि यदि कोई व्यक्ति तुरंत तलाक देता है, तो वह चाहे किसी भी रूप में हो - बोलने, लिखने या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे कि - एस.एम.एस., या ई-मेल तो इसको अवैध माना जायेगा तथा पति को तीन साल की जेल भी होगी। नये कानून को लचीला बनाया गया जिसमें पीडित महिला अपने आश्रित बच्चों के भरण पोषण के लिए मांग का पूरा हक रखती है।

पहली बार 2017 में यह अधिनियम सरकार ने संसद में पेश किया आल इण्डिया मुस्लिम लीग के सांसदों ने, इण्डियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, आल इण्डिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन, आल इण्डिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कडगम, बीजू जनता दल आदि ने इसका विरोध किया। विपक्ष के कई सांसदों ने इसे जांच के लिए एक प्रवर समिति को भेजने की बात सामने रखी। भारत के निचले सदन और लोकसभा में यह अट्टाइस दिसंबर 2017 को पारित किया गया था। जिसमें भाजपा की अधिकांश सीटें सत्तारूढ़ पार्टी की ही थीं।

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

इस प्रथा में परिवर्तन के लिए सरकार की बड़ी राजनीतिक जीत मानी गई। संसद या राज्यसभा के उपर जहां पर सत्ता में एन.डी.ए का बहुमत नहीं था। वहा चली एक लम्बी बहस के बाद 30 जुलाई 2019 को इस बिल को मंजूरी मिल गई।

इस विधेयक ने 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया कि त्वरित ट्रिपल तालक की प्रथा असंवैधानिक है और एक बैठक में तीन बार तालाक का उच्चारण करने से स्पष्ट तलाक एक शून्य और अवैध है। इसने मुस्लिम समुदाय की याचिकाकर्ता इशरत जहा जिसने ट्रिपल तलाक पर विधेयक पेश किया था। भारत की संसद के द्वारा लिये गये इस निर्णय का आरिफ मोहम्मद खान ने सराहना और स्वागत किया।

2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो प्रस्तावित ट्रिपल तलाक में उसमें चुक हुई जब विधेयक पर विचार विमर्श मीटिंग बुलाई गयी और विधेयक को मंजूरी पाने के लिए राज्यसभा में भेजे बिना ही लोकसभा में भंग कर दिया गया था।

इस मामले को शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य कहा जाता था। 2017 में विवादास्पद ट्रिपल तालक मामले की सुनवाई करने वाली पीठ बहु-सदस्यीय सदस्यों से बनी थी। पांच अलग-अलग समुदायों के पांच न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर (एक सिख) और जस्टिस कुरियन जोसेफ (एक ईसाई), आरएफ नरीमन (एक पारसी), यूयू ललित (एक हिंदू) और अब्दुल नजीर (एक मुस्लिम) हैं।]

सुप्रीम कोर्ट ने जांच की कि क्या ट्रिपल तलाक को संविधान का संरक्षण प्राप्त है - यदि यह प्रथा संविधान में अनुच्छेद 25 (1) द्वारा सुरक्षित है, जो धर्म, अभ्यास और प्रचार धर्म के सभी मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। न्यायालय यह स्थापित करना चाहता था कि ट्रिपल तालक इस्लामी विश्वास और व्यवहार की एक अनिवार्य विशेषता है या नहीं।

97-पृष्ठ के फैसले में, हालांकि दो न्यायाधीशों ने तत्काल ट्रिपल तालक (तालाक-ए-बिद्दत) की वैधता को बरकरार रखा, तीन अन्य न्यायाधीशों ने कहा कि यह असंवैधानिक था, इस प्रकार 3-2 बहुमत से इस अभ्यास को रोक दिया गया। एक न्यायाधीश ने तर्क दिया कि तत्काल ट्रिपल तालक ने इस्लामी कानून का उल्लंघन किया। पीठ ने केंद्र सरकार से मुस्लिम समुदाय में विवाह और तलाक को नियंत्रित करने के लिए छह महीने के भीतर कानून बनाने को कहा। अदालत ने कहा कि जब तक सरकार त्वरित ट्रिपल तालक के बारे में एक कानून नहीं बनाती है, तब तक उनकी पत्नियों पर तत्काल ट्रिपल तालक देने वाले पतियों के खिलाफ निषेधाज्ञा होगी।

ट्रिपल तलाक पर कानून कुछ इस प्रकार है

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 सरकार ने अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से देश में तत्काल ट्रिपल तालक के 100 मामलों के बाद एक विधेयक तैयार किया और इसे संसद में पेश किया। 28 दिसंबर 2017 को, लोकसभा ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया। विधेयक में पति के लिए सजा के रूप में तीन साल तक की जेल में किसी भी रूप में - लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे गैरकानूनी और शून्य तरीकों से तत्काल ट्रिपल तालक (तालाक-ए-बिद्दाह) बनाने की योजना बनाई। राजद, एआईएमआईएम, बीजेडी, अन्नाद्रमुक और एआईएमएल के सांसदों ने विधेयक को प्रकृति में मनमाना और एक दोष पूर्ण प्रस्ताव बताते हुए विरोध किया, जबकि कांग्रेस ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश विधेयक का समर्थन किया। 19 संशोधन लोकसभा में गए लेकिन सभी खारिज कर दिए गए।

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2018

तत्काल ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध होने के बावजूद यह निरंतर जारी थे। सरकार ने इस अभ्यास को अवैध और शून्य बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया।

अध्यादेश के प्रावधान इस प्रकार हैं

1. तत्काल ट्रिपल तलाक अधिकतम तीन साल के कारावास और जुर्माने के साथ संज्ञेय बना हुआ है।
2. केवल पत्नी या उसके रक्त रिश्तेदार द्वारा पुलिस के साथ शिकायत को मान्यता दी जाएगी।
3. अपराध गैर-जमानती है। अर्थात केवल एक मजिस्ट्रेट और पुलिस जमानत नहीं दे सकती है। पत्नी की सुनवाई के बाद ही जमानत दी जा सकती है।
4. नाबालिग बच्चों की परवरिश माँ को दी जाएगी।
5. मजिस्ट्रेट द्वारा पत्नी को रखरखाव भत्ता तय किया जाता है।
6. 9 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी।

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018

जैसा कि 2018 के ट्रिपल तालक अध्यादेश को 22 जनवरी 2019 को समाप्त होना था। सरकार ने अध्यादेश को बदलने के लिए 17 दिसंबर 2018 को लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया। विधेयक के प्रावधान इस प्रकार हैं

1. लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में तत्काल ट्रिपल तालक की सभी घोषणाएं शून्य (यानी कानून में लागू नहीं) और गैरकानूनी हैं।
2. त्वरित ट्रिपल तालक अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माने के साथ संज्ञेय अपराध है। जुर्माना राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाती है।
3. अपराध केवल तभी संज्ञेय होगा जब अपराध से संबंधित जानकारी पत्नी या उसके रक्त रिश्तेदार द्वारा दी गई हो।
4. अपराध गैर-जमानती है। लेकिन यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जमानत दे सकता है। पत्नी की सुनवाई के बाद ही जमानत दी जा सकती है और अगर मजिस्ट्रेट जमानत देने के लिए उचित आधार से संतुष्ट है।
5. पत्नी निर्वाह भत्ते की हकदार है। राशि का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है।
6. पत्नी विवाह से अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी पाने की हकदार है। तरीका मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
7. अपराध को महिला के अनुरोध पर (जिसके खिलाफ ताला घोषित किया गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को कम किया जा सकता है (यानी कानूनी कार्यवाही को रोकना और विवाद का निपटारा करना)।

इस विधेयक को लोकसभा ने 27 दिसंबर 2018 को पारित किया था। हालांकि, विपक्ष की चयन समिति को भेजने की मांग के कारण यह बिल राज्यसभा में अटका रहा।

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2019

ट्रिपल तालक बिल संसद के सत्र में 2018 में इसलिए पारित नहीं हो पाया क्योंकि ट्रिपल तालक अध्यादेश को 22 जनवरी 2019 में समाप्त होना ही था। 10 जनवरी 2019 को इस अध्यादेश को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 12 जनवरी 2019 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

पहले के अध्यादेश की जगह मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 31 जुलाई 2019 को कानून बन गया।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एवं जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन 2019 का राष्ट्रपति का आदेश

5 अगस्त 2019 को, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा (भारतीय संसद के ऊपरी सदन) में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 2019 (सीओ 272) को अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया है। संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 1954 आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू होते हैं। जबकि 1954 के आदेश में कहा गया था कि राज्य में लागू होने वाले भारतीय संविधान के केवल कुछ अनुच्छेद, नए आदेश ने इस तरह के सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान हो गया। राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति के साथ आदेश जारी किया, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करती है।

राष्ट्रपति के आदेश 2019 में व्याख्या के तहत अनुच्छेद 367 में चार उप-खंडों के साथ खंड (4) भी जोड़ा गया। 7 वाक्यांश सदर-ए-रियासत ने मंत्रि परिषद की सहायता और सलाह पर काम किया जो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में माना जाएगा। वाक्यांश राज्य सरकार में राज्यपाल शामिल होंगे। संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) के अंतिम रूप में, अभिव्यक्ति राज्य की संविधान सभा खंड (2) में निर्दिष्ट है राज्य की विधानसभा पढ़ेंगे। अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के कुछ आदेश 1954 से समान परिस्थितियों में जारी किए गए हैं जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था। केंद्र सरकारों ने राज्यपाल से मतलब रखने के लिए इन परिस्थितियों में राज्य सरकार की सहमति की व्याख्या की।

राज्यसभा के समक्ष राष्ट्रपति के आदेश 2019 को रखने के तुरंत बाद, गृह मंत्री अमित शाह ने एक सिफारिश की और कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (3) के तहत एक आदेश जारी करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 के सभी धाराओं को शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद, राष्ट्रपति ने 6 अगस्त 2019 को संवैधानिक आदेश 273 जारी किया, जिसमें निम्नलिखित पाठ के साथ अनुच्छेद 370 के विलुप्त पाठ को प्रतिस्थापित किया गया।

370 इस संविधान के सभी प्रावधान, जो बिना किसी संशोधन या अपवाद के, समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, भले ही अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य लेख या किसी अन्य लेख में निहित कुछ भी न हो। जम्मू और कश्मीर के संविधान या किसी कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या भारत के क्षेत्र में कानून के बल या किसी अन्य उपकरण, संधि के उपयोग का प्रावधान या अनुच्छेद 363 या अन्यथा के तहत परिकल्पित करार।

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

जम्मू और कश्मीर की स्थिति में बदलाव

5 अगस्त 2019 को, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र में बदलने के लिए राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पेश किया। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधेयक के तहत एक विधायिका का प्रस्ताव था, जबकि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में एक नहीं होने का प्रस्ताव है। दिन के अंत तक, बिल को राज्यसभा ने 125 मतों से अपने पक्ष में कर लिया। अगले दिन, बिल को लोकसभा ने 370 मतों से अपने पक्ष में कर लिया और 70 ने इसके (84:) खिलाफ विरोध किया। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन गया।

दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक उपराज्यपाल नियुक्त किया। दोनों उपराज्यपालों को 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गीता मिश्र द्वारा शपथ दिलाई गई। पहले लद्दाख संघ के लिए लेह में और फिर जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के लिए श्रीनगर में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 30 अक्टूबर 2019 की रात को जम्मू और कश्मीर राज्य में समाप्त हो गया था। राष्ट्रपति का नियम केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं होता है और इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जैसे भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित है। राष्ट्रपति ने यह कहते हुए एक आदेश जारी किया कि वह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर सीधे शासन करेंगे, जब तक कि केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा का गठन नहीं किया जाता है।

अयोध्या राम मंदिर का फैसला

अयोध्या विवाद में अंतिम निर्णय 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि (2.77 एकड़) को राम जन्मभूमि (हिंदू देवता, राम मंदिर के जन्मस्थान के रूप में प्रतिष्ठित) के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट 19 अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि वह मस्जिद बनाने के उद्देश्य से सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सारांश

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया। निर्णय को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

1. कोर्ट ने भारत सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने और तीन महीने के भीतर न्यासी बोर्ड बनाने का आदेश दिया। विवादित भूमि भारत सरकार के स्वामित्व में होगी और बाद में इसके गठन के बाद ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
2. न्यायालय ने 2.77 एकड़ के क्षेत्र की पूरी विवादित भूमि को मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित करने का आदेश दिया। 10 जबकि 5 एकड़ के क्षेत्र की एक वैकल्पिक भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक उपयुक्त स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए आवंटित किया गया था।
3. कोर्ट ने फैसला दिया कि 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, विवादित भूमि का विभाजन गलत था।
4. कोर्ट ने फैसला दिया कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और 1949 में बाबरी मस्जिद को अपवित्र करना कानून का उल्लंघन था।
5. न्यायालय ने देखा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक षंरचना पर किया गया था। जिसकी वास्तुकला विशिष्ट रूप से स्वदेशी और गैर-इस्लामिक थी।
6. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपने 1,045 पृष्ठ के फैसले में कहा कि मौजूदा इमारत के नीचे एक प्राचीन धार्मिक संरचना के खंडहर हमेशा यह संकेत देते हैं कि इसे अभिन्न शक्तियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था।
7. अदालत ने देखा कि सभी चारों जनशिखियों (प्रथम सिख गुरु, गुरु नानक की आत्मकथाएँ) ने अनायास और विस्तार से बताया कि गुरु नानक ने अयोध्या की तीर्थयात्रा की और 11 ईस्वी में राम मंदिर में पूजा-अर्चना की। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि निहंग सिखों के एक समूह ने 1857 में मस्जिद में पूजा की थी।
8. कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित मुस्लिम पक्ष विवादित भूमि पर विशेष कब्जा स्थापित करने में विफल रहे। इसने कहा कि हिंदू दलों ने यह साबित करने के लिए बेहतर सबूत प्रस्तुत किए कि हिंदूओं ने मस्जिद के भीतर लगातार पूजा की, इसे हिंदू देवता राम का जन्मस्थान मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि 1856-57 में स्थापित की गई लोहे की रेलिंग ने मस्जिद के भीतरी आंगन को बाहरी आंगन से अलग कर दिया, और यह कि बाहरी आंगन में हिंदुओं का कब्जा था। इसने कहा कि इससे पहले भी, मस्जिद के भीतरी आंगन में हिंदुओं की पहुंच थी।
9. न्यायालय ने फैसला दिया कि निर्मोही अखाड़े द्वारा दायर किए गए मुकदमे को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, अदालत ने फैसला दिया कि निर्मोही अखाड़े को न्यासी बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

10. अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बाबरी मस्जिद के स्वामित्व के लिए किए गए दावे को खारिज कर दिया।
11. 12 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की समीक्षा के लिए सभी 18 याचिकाओं को खारिज कर दिया।

नागरिकता(संशोधन) अधिनियम, 2019

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया(संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 हुआ पारित,। इसने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों के लिए, ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक, जो दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न से बच गए थे भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करते हुए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया। उन देशों के मुसलमानों को इस तरह की पात्रता नहीं दी गई है। यह अधिनियम पहली बार धर्म को भारतीय कानून के तहत नागरिकता के लिए एक कसौटी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भारतीय राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जो भारत सरकार का नेतृत्व करती है, पिछले चुनावी घोषणापत्रों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोसी देशों से पलायन कर गए थे, के सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का वादा किया गया था। 2019 संशोधन के तहत, प्रवासियों ने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया था, और उनके मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न का डर का सामना करना पड़ा था। उन्हें नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है। संशोधन ने इन प्रवासियों के प्राकृतिककरण के लिए निवास की आवश्यकता को बारह साल से घटाकर छह कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, बिल के तत्काल 30,000 से अधिक लाभार्थी होंगे।¹

विशेष रूप से मुसलमानों को बाहर करने के लिए संशोधन की व्यापक रूप से धर्म के आधार पर भेदभाव के रूप में आलोचना की गई है। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के मानव अधिकारों के लिए कार्यालय (उच्चायुक्त) ने इसे मौलिक रूप से भेदभाव पूर्ण कहा, यह कहते हुए कि “भारत के सताए गए समूहों की रक्षा का लक्ष्य स्वागत योग्य है, यह एक गैर-भेदभाव पूर्ण मजबूत राष्ट्रीय शरण प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। आलोचक यह चिंता व्यक्त करते हैं कि बिल का उपयोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (तत्व) के साथ किया जाएगा, जिससे कई मुस्लिम नागरिकों को स्टेटलेस रेंडर किया जा सकेगा, क्योंकि वे कड़े जन्म या पहचान प्रमाण की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। टिप्पणीकार तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रों से उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाते हैं। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इस्लाम को अपना धर्म माना जाता है और इसलिए वहां मुस्लिमों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने की संभावना नहीं है। हालांकि, कुछ मुस्लिम समूहों, जैसे कि हजार और अहमदी, ने ऐतिहासिक रूप से इन देशों में उत्पीड़न का सामना किया है।

कानून पारित होने से भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों ने इस आशंका के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखा है कि शरणार्थियों और प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से उनके प्राजनीतिक अधिकारों, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों का नुकसान होगा और बांग्लादेश से आगे के प्रवास को प्रेरित करेगा। 12 भारत के अन्य हिस्सों में, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिल में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया और मांग की गई कि मुस्लिम शरणार्थियों और प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाए। भारत में विश्वविद्यालयों में अधिनियम के खिलाफ प्रमुख विरोध प्रदर्शन हुए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने पुलिस पर क्रूर दमन का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शनों में कई प्रदर्शनकारियों की मौत, प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के घायल होने, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेने और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय इंटरनेट मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के निलंबन के कारण हुए हैं। कुछ राज्यों ने घोषणा की है कि वे अधिनियम को लागू नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को सीएए के कार्यान्वयन को रोकने के लिए कानूनी शक्ति का अभाव है।

1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान ने संविधान के प्रारंभ में देश के सभी निवासियों को नागरिकता की गारंटी दी थी और धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया था। 13 भारत सरकार ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए दो साधन प्रदान किए। अविभाजित भारत के लोगों को भारत में सात साल के निवास के बाद पंजीकरण का साधन दिया गया था। भारत में बारह वर्षों के बाद अन्य देशों के लोगों को प्राकृतिककरण का साधन दिया गया। 1980 के दशक में राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष रूप से बांग्लादेश के सभी प्रवासियों के खिलाफ हिंसक असम आंदोलन से संबंधित, 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किए गए। 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया। जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भारत सरकार विदेशी नागरिकों की पहचान करने, उन्हें चुनावी भूमिकाओं से हटाने और उन्हें देश से निष्कासित करने पर सहमत हुई थी।

1992, 2003, 2005 और 2015 में नागरिकता अधिनियम में और संशोधन किया गया। दिसंबर 2003 में, हिंदू जनतावादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 को दूरगामी रूप से पारित किया। इसने अधिनियम में अवैध प्रवासियों की धारणा को जोड़ा, जिससे उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने (पंजीकरण या प्राकृतिक

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

करण द्वारा) के लिए अयोग्य बना दिया, और अपने बच्चों को भी अवैध आप्रवासियों के रूप में घोषित किया। अवैध प्रवासियों को अन्य देशों के नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया था, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते थे, या जो अपने यात्रा दस्तावेजों द्वारा अनुमत अवधि से परे देश में बने रहते थे। उन्हें निर्वासित या जेल में डाला जा सकता है।

2003 के संशोधन ने भारत सरकार को नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने और बनाए रखने के लिए भी बाध्य किया। इस विधेयक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साथ ही वामपंथी दलों, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने समर्थन दिया था। संसदीय बहस के दौरान संशोधन पर विपक्ष के नेता, मनमोहन सिंह ने कहा कि बांग्लादेश और अन्य देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित शरणार्थियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, और अनुरोध किया कि उन्हें नागरिकता देने के लिए सरकार का दृष्टिकोण और अधिक उदार बनाया जाए। एम. के. वेणु के अनुसार आडवाणी और सिंह द्वारा 2003 में किए गए संशोधन की रूपरेखा इस विचार पर आधारित थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुस्लिम समूहों ने उत्पीड़न का अनुभव किया था।

बहुत बड़ी संख्या में अवैध आप्रवासी, जिनमें से सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश से है, भारत में रहते हैं। टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट ने 2001 में 15 मिलियन अवैध प्रवासियों के आंकड़े को उद्धृत किया। 2004 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने संसद में कहा कि भारत में 12 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी थे। प्रवासन के पैमाने के कारणों में एक झरझरा सीमा, ऐतिहासिक प्रवासन पैटर्न, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक और भाषाई संबंध शामिल हैं। बांग्लादेश के कई अवैध प्रवासियों को अंततः वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नीरजा जयल के अनुसार, बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के वोटों का उपयोग करके चुनाव जीतने के प्रयास के रूप में इस एनफ्रेंचेमेंट को व्यापक रूप से वर्णित किया गया। भारत में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रहते हैं। धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का हवाला देते हुए अनुमानित 5,000 शरणार्थी प्रति वर्ष भारत आते हैं। कई बड़ी संख्या में शरणार्थी, जिनकी संख्या 5-13 मिलियन है, विभिन्न प्रकार के जटिल कारकों के कारण दशकों से बांग्लादेश से आए हैं।

भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन या 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। 14 शरणार्थियों पर इसकी राष्ट्रीय नीति नहीं है। सभी शरणार्थियों को अवैध प्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि भारत शरणार्थियों की मेजबानी करने का इच्छुक रहा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई अपनी पारंपरिक स्थिति यह है कि स्थिति सामान्य होने के बाद ऐसे शरणार्थियों को अपने देश वापस जाना होगा। यूएस कमिटी फॉर रिफ्यूजी एंड इमिग्रेंट्स के अनुसार, भारत 4,56,000 से अधिक शरणार्थियों की मेजबानी करता है, सरकार के माध्यम से गैर-पड़ोसी देशों से लगभग 2,00,000 की मेजबानी की जाती है। श्वारो सरकार के अनुसार, 1950 के दशक से और विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद से, विभिन्न राजनीतिक दलों के तहत भारतीय सरकारों ने शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के प्राकृतिककरण के लिए कानूनों का अध्ययन और मसौदा तैयार किया है। इन ड्राफ्टों ने शरणार्थियों के एक बड़े प्रवाह, शहरी नियोजन, बुनियादी सेवाओं की लागत, संरक्षित जनजातियों के दायित्वों, भारत के भीतर पहले से मौजूद क्षेत्रीय गरीबी के स्तर पर प्रभाव जैसे मुद्दों के साथ संघर्ष किया है।

निष्कर्ष

30 मई 2019 को मोदी द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली गई उनके दूसरे कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला तीन तलाक प्रथा को अवैध बनाकर उसे असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को भंग कर जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठित कर उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही गई। इसी क्रम में 90 के दशक से चली आ रही अयोध्या में मंदिर के निर्माण के विवाद को सुलझा कर वहां राम मंदिर के निर्माण को हरी झंडी दी गई।

सन्दर्भ

1. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49160818>
2. <https://www.narendramodi.in/india-rejoices-today-says-pm-as-parliament-clears-triple-talaq-bill-545819>
3. <https://www.bbc.com/hindi/india-47099956>
4. <https://www.prsindia.org/hi/billtrack>
5. <https://www.prsindia.org/hi/billtrack/>
6. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1584685>
7. <http://loksabhaph.nic.in/Debates/Result17.aspx?dbsl=776&ser=&smode=t>
8. <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1581524>
9. <https://www.bbc.com/hindi/india-50035491>
10. http://www.ssgcp.com/wp-content/uploads/dlm_upload/s/2020/01/Current-Affairs-January-2020.pdf
11. https://pib.gov.in/newsite/release_l.aspx?a_l=2
12. <https://www.bbc.com/hindi/india-50808650>
13. <https://upsssc.com/>
14. <https://www.orfonline.org/hindi/research>